कार्यालय जिलाधिकारी/लााइसेंस प्राधिकारी, प्रतापगढ़।

विज्ञप्ति संख्या– /व्यवस्थापन/2021–22/प्रतापगढ़/ दिनांकः जनवरी 12, 2021

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2021–22 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–03/2021/2828/155 ई–2/तेरह–2020–02/2020 दिनांक 08–01–2021 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–21017/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2021–22 दिनांक 09–01–2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2021–22 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 15–01–2021 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2020–21 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिये अर्ह पायी गयी दुकानों के नवनीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15–01–2021 (मध्यान 12 बजे) से दिनांक 22–01–2021 (मध्यान्ह 12.00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से प्रथम चरण में दिनांक 03–02–2021 (मध्यान्ह 12.00 बजे) से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की वेबसाइट pratapgarh.up.nic.in विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

12/1/2021

(राजेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
प्रतापगढ़।

(डॉ0 नितिन बंसल)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
प्रतापगढ़।

संख्या– 778 /विज्ञप्ति/व्यवस्थापन/2021–22/ प्रतापगढ/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– जिला सूचना अधिकारी प्रतापगढ़ को दस प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

3– सम्पादक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा अमर उजाला को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने समाचार पत्र दिनांक 13–01–2021 के अंक में प्रतापगढ़ सिटी पेज पर 13 से0मी0 X 13 से0मी0(लगभग) के बाक्स में न्यूनतम निर्धारित सरकारी दर पर प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

12/1/21

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
प्रतापगढ़।